न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 130/2017

–:: वादी ::–	बनाम	–:: प्रतिवादी ::–
1. मोतीराम पुत्र शोभाराम जाति–कुमावत, निवासी–बांझाकुड़ी तहसील–जैतारण, जिला–पाली(राज.)		1. राजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह 2. उछबकंवर पत्नि गंगासिंह 3. कालूसिंह पुत्र सज्जनसिंह 4. पूरणसिंह पत्नि भगवानसिंह 5. अम्बिका पुत्री भगवानसिंह 6. रेणुकंवर पुत्री भगवानसिंह जातियान राजपूत निवासीगण बांझाकुड़ी तहसील–जैतारण जिला–पाली (राज.) 7. तहसीलदार तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.04/07/2017

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 29/05/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रति. के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–बांझाकुड़ी, पटवार हल्का–बांझाकुड़ी, तहसील–जैतारण में वादी की खरीदसुदा कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 796 रकबा 7–12 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। नकल जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजी पूर्व में प्रतिवादीगण के दादा, पिता व पति एवं ससुर सज्जनसिंह व गंगासिंह के नाम की थी, तथा उन्हीं का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था, सज्जनसिंह व गंगासिंह दोनों सगे भाई थे एवं खंगसिंह के पुत्र थे, जिनका नाम वादपत्र में वर्णित आराजी के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था एवं उन्हीं का कब्जा था, परन्तु स्वर्गीय सज्जनसिंह, स्वर्गीय गंगासिंह जी को अपने पारिवारिक प्रबंधन के लिए रूपयों की जायज जरूरत होने से वादपत्र में वर्णित आराजी वादी को बेचान कर दी, एवं प्रतिफल की राशि 22000/– रोकड़ प्राप्त कर वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 18/5/1994 को तकमील करवा दिया, तथा मौके पर भौतिक रूप से कब्जा वादी को सुपुर्द कर दिया, तब से लेकर आज दिन तक उक्त आराजी पर एक मात्र कब्जा व काश्त वादी का ही चला आ रहा है। एवं वादी उक्त आराजी का शांतिपूर्वक रूप से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। नकल रजिस्टर्ड बेचाननामा वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। वादी ने उपरोक्त वर्णित आराजी का रजिस्टर्ड बेचाननामा अपने नाम तकमील करवाने एवं वादपत्र में वर्णित आराजी में मौके पर कब्जा प्राप्त करने के बाद रजिस्टर्ड बेचाननामा की एक प्रति तत्त्कालीन आर.आई. पटवारी को राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज करने बाबत् दी थी, तथा बेचाननामा की एक प्रति तहसीलदार जैतारण को पेश की थी कि उक्त बेचाननामा के अनुसार वादी का नाम बिक्रित भूमि के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावे। बेचाननामा की फोटो प्रतियां तत्त्कालीन आर.आई. पटवार एवं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

तहसीलदार को देने के बाद वादी निश्चित हो गया कि बिक्रित भूमि के राजस्व रेकर्ड में उसका नाम इन्द्राज हो गया । परन्तु तत्कालीन आर.आई. पटवारी ने जानबुझकर या सहवन से बिक्रित भूमि में वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं किया, एवं बेचानकर्त्ता का ही नाम रखा, तत्पश्चात् बेचानकर्ता के फौत हो जाने से उक्त आराजी में जरिये फौतेदगी म्यूटेशन प्रतिवादीगण का नाम इन्द्राज हो गया, एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण का नाम चला आ रहा है, जबकि उक्त आराजी जो दिनांक 18/5/1994 को वादी के पक्ष में बिक्रित हो चुकी थी, एवं उक्त भूमि के समस्त हक व अधिकार वादी के पक्ष में निष्पादित व हस्तान्तरित हो चुके थे, परन्तु बेचाननामा के आधार पर तत्कालीन आर.आई. पटवारी द्वारा म्यूटेशन पारित नहीं करने से राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम इन्द्राज नहीं हो सका, नकल वर्तमान जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। दिनांक 25/5/2017 को वादी द्वारा उक्त आराजी में कृषि ऋण लेने के सिलसिले में राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त की, तो उसे ज्ञात हुआ कि वादपत्र में वर्णित आराजी में उसका नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं है एवं प्रतिवादीगण का नाम इन्द्राज है, जबकि उक्त आराजी में प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है, परन्तु वादी के नाम का म्यूटेशन पारित नहीं होने से आज दिन तक उक्त आराजी में प्रतिवादीगण का नाम इन्द्राज है, यदि प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज होने के आधार पर बिना किसी हक व अधिकार के इस आराजी को कहीं अन्य जगह हस्तान्तरित कर देते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी, एवं वादी अपने जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिए महरूम हो जायेगा। जबकि दिनांक 18/5/1994 से उक्त आराजी में एक मात्र मालिकाना हक व अधिकार वादी का चला आ रहा है इसलिए वादी को रजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करने के लिए यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को निवदेन करने पर कि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण स्वयं अपना नाम हटाकर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा देगे एवं प्रतिवादीगण संख्या 07 तहसीलदार जैतारण के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देवे, तब प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 ऐसा करने से इंकार हो गये, तब वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 07 को निवेदन किया कि रजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर उसके पक्ष में म्यूटेशन पारित कर देवे, तब प्रतिवादीगण संख्या 07 ने भी स्पष्ट इंकार कर दिया एवं न्यायालय में वादपत्र पेश करने की हिदायत दी, तब वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 25/6/2017 को वादी राजस्व रेकर्ड देखने एवं उसका नाम इन्द्राज नहीं होने पर उसने वादपत्र में वर्णित आराजी में अपना नाम इन्द्राज कराने हेतु निवेदन करने पर तथा प्रतिवादीगण द्वारा नाम का इन्द्राज कराने से स्पष्ट इंकार करने पर बमुकाम बांझाकुड़ी व जैतारण में पैदा हुआ है जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली/सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार जैतारण ने जबाबदावा पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया एवं पटवारी हल्का ने फर्द मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 796 रकबा 7-12 बीघा किस्म बारानी दोयम प्रतिवादीगण के दादा पिता व पति एवं ससूर सज्जनसिंह व गंगासिंह के नाम की थी तथा उन्हीं का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज था। परन्तु सज्जनसिंह गंगासिंह पि0 खंगसिंह कौम-राजपूत ने जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 18/05/94 को मोतीराम पुत्र शोभाराम जाति-कुमावत, निवासी-बांजाकुड़ी को बेचान कर दी गई। बेचान रजिस्ट्री संलग्न हैं। जमाबन्दी रेकर्ड अनुसार खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

कालूसिंह पुत्र सज्जनसिंह, पूरणकंवर पत्नि भगवानसिंह, अम्बिका रेणुकंवर पुत्रिया भगवानसिंह, अम्बिका रेणुकंवर नाबा0 की वली माता पूरणकंवर, राजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह, उच्छबकंवर पत्नि गंगासिंह कौम-राजपूत सा0 देह खातेदार दर्ज हैं। उक्त आराजी में जरिये फौतेदगी म्यूटेशन प्रतिवादी का नाम इन्द्राज हो गया हैं एवं वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादीगण का नाम चला आ रहा हैं। जबकि उक्त आराजी जो दिनांक 18/05/94 को वादी मोतीराम पुत्र शोभाराम के पक्ष में विक्रित हो चुकी हैं। वर्तमान में खसरा नम्बर 796 रकबा 7-12 बीघा किस्म बारानी दोयम में कब्जा काश्त मोतीराम पुत्र शोभाराम कौम-कुमावत सा0 बांजाकुड़ी का ही हैं। वकील वादी ने प्रति0 संख्या 01 से 06 का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड से हटाया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प-बांजाकुड़ी में पेश हुई। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण ने जबाब पेश किया सा.मि. किया गया। बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाबदावा, फर्द मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य शपथ-पत्र का गहनत से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। मोतीराम पुत्र शोभाराम कौम-कुमावत सा0 बांजाकुड़ी ने उक्त आराजी क्रय की थी। उसका ही कब्जा काश्त हैं। लिहाजा प्रति0 संख्या 01 से 06 का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बांझाकुड़ी, पटवार हल्का-बांझाकुड़ी, तहसील-जैतारण में वादी की खरीदसुदा कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 796 रकबा 7-12 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रति0 संख्या 01 से 06 का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/05/2018 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र-बांजाकुड़ी सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

–:: वादी ::–

1. मोतीराम पुत्र शोभाराम
जाति–कुमावत, निवासी–बांझाकुड़ी
तहसील–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

बनाम

–:: प्रतिवादी ::–

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह
2. उछबकंवर पत्नि गंगासिंह
3. कालूसिंह पुत्र सज्जनसिंह
4. पूरणसिंह पत्नि भगवानसिंह
5. अम्बिका पुत्री भगवानसिंह
6. रेणुकंवर पुत्री भगवानसिंह
जातियान राजपूत निवासीगण
बांझाकुड़ी तहसील–जैतारण
जिला–पाली (राज.)
7. तहसीलदार तहसील जैतारण
जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 130/2017

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बांझाकुड़ी, पटवार हल्का–बांझाकुड़ी, तहसील–जैतारण में वादी की खरीदसुदा कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 796 रकबा 7–12 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रति0 संख्या 01 से 06 का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड से हटाया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **29/05/2018** को लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र कावलियाकलां जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		–	महनताना वकील		
महनताना वकील		–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर		–	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		–	मुत्फरिक		
मिजानः–	04	00	मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।